भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 32/2023
दिनांकः 25 सितम्बर, 2023

विषयः राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को गैर–बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के अंतर्गत) का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना सं. 20 के पैरा 2(iv) में निहित प्रावधान के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात को 75,000 मी.ट. गैर–बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के अंतर्गत) का निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से अनुमत किया जाता है।

2. अधिसूचना का प्रभावः

संयुक्त अरब अमीरात को 75,000 मी.ट. गैर–बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के अंतर्गत) के निर्यात को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से अनुमति दी गई है।

संतोष कुमार सारंगी
25.9.2023
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार एवं
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/038/एएम–24/ईसी/ई–37225 से जारी)